

## 'सी' श्रेणी पंजीकरण

शासनादेश संख्या 3460/23-7-08-41एम.एस.ए./54टी.सी.-III दिनांक 28-07-2008, शासनादेश संख्या 2466/92-1-2018-65एम/2014 दिनांक 30-07-2018 एवं शासनादेश सं0-1725/92-1-2019-65एम/2014 दिनांक 21.06.2019 तथा ठेकेदारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली 1982 के अधीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मुरादाबाद द्वारा काराये गये प्रपत्रों के सत्यापन तथा उनके पत्र संख्या 177 दिनांक 10.06.2020 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर मै0 पी0एस0 कन्सट्रक्शन, प्रो0 श्री ओमकार सिंह, निवासी एच0आई0जी0-11 नवीन नगर थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद का इस परिमण्डल के अन्तर्गत निर्माण कार्य के ठेकेदारी हेतु श्रेणी "सी" में क्रमांक 365 पर पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण दिनांक 30-06-2023 तक के लिये मान्य होगा। तदोपरान्त स्वतः समाप्त माना जायेगा। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के 2 माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कोटि:- मार्ग निर्माण

धरोहर राशि रू0-100,000.00

पेन नं0-(BCOPS4514C) की छायाप्रति।

जी0एस0टी0 नं0-(09BCOPS4514CIZH)

  
(राम चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता,

कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मुरादाबाद परिमण्डल मुरादाबाद।


पत्रांक 209 /एस0टी0/पंजी0सं0(365)/ग्रा0अ0वि0/2020-21 दिनांक 01/07/20  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मै0 पी0एस0 कन्सट्रक्शन, प्रो0 श्री ओमकार सिंह, निवासी एच0आई0जी0-11 नवीन नगर थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद को उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि यदि उक्त पंजीकरण की वैधता अवधि से पूर्व आपके हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको उक्त प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीन हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। यदि आपके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय में समय से उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उक्त स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा अथवा आप परिमण्डल के अन्तर्गत टेण्डर लेने/डालने के पात्र नहीं होंगे।

2-

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा/सम्भल तदानुसार अनुपालन एवं अभिलेखार्थ प्रेषित।



  
अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल मुरादाबाद।